भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4083

उत्तर देने की तारीख 18 मार्च, 2020

डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र

4083. श्री कृष्ण पाल सिंह यादव:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) खोलने के लिए जिले के प्रधान डाकघर में पासपोर्ट विभाग को कितनी जगह उपलब्ध कराई गई है;

(ख) सरकार द्वारा डाकघर में स्थान की अनुपलब्धता की स्थिति में पासपोर्ट विभाग को स्थान प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) मध्य प्रदेश में उन जिलों की संख्या कितनी है जहां डाकघरों द्वारा अब तक पीओपीएसके खोलने के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया है?

उत्तर
संचार, मानव संसाधन विकास तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

(श्री संजय धोत्रे)

(क) और (ख) डाक विभाग (डीओपी) और विदेश मंत्रालय (एमईए) के बीच हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन के अनुसार, डाक विभाग, उन स्थानों के डाकघरों में, 300 वर्गफुट से 1000 वर्गफुट स्थान प्रदान करेगा, जिनके लिए पारस्परिक रूप से सहमति हुई है। तदनुसार, उपलब्धता और व्यवहार्यता के अनुसार, नामित डाकघरों में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने के लिए पासपोर्ट विभाग को 300 वर्गफुट से 1000 वर्गफुट के बीच का स्थान प्रदान किया गया है। समझौता-ज्ञापन के अनुसार, संबंधित डाकघरों में स्थान उपलब्ध न होने की स्थिति में, पासपोर्ट विभाग को स्थान प्रदान करने के लिए डाक विभाग द्वारा कोई और उपाय किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) मध्य प्रदेश के 17 जिलों के डाकघरों में डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

*****